

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / / 2012

क्रमांक एक 73-83/2012/20-3

पति

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
पीठ बिहार नई दिल्ली।

विषय-अशासकीय शिक्षण संस्था संख्या 101 विद्यावती केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल, जिला सिन्द, म.  
प को सीबीएसई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध  
में।

-0-

राज्य शासन द्वारा विद्यमान संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं राफस पत्र के अन्तर्गत पर  
संस्था को सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया  
जाता है :-

- (1) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी  
संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा  
समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन  
किया जाएगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कार्यवाही समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, सिन्द, (म.प्र.) अथवा  
उनका एक प्रतिनिधि कार्यवाही में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार  
क्रियाशील जिन श्रमण यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध  
में भारत सरकार द्वारा राजकीय संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए  
जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( श्री. एस. कावर )  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल

पृष्ठ 0 एक क्रमांक एक 73-83/2012/20-3

पतिनिधि :-

1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था 101 विद्यावती केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल, जिला सिन्द, म.प्र. को सीबीएसई से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने शर्तों पर प्रदान की जाती है-

- (a) संस्था सीबीएसई के अनुसार मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।
- (b) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या राफस-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र. ।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिन्द, म.प्र.
- 4- ऑडर बुक ।

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल

Principal  
Public School  
Jhansi

11211

3

भोपाल, दिनांक 31/7/2012